


(जोले हामी)
Evidence 90



157

151

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प भोपाल

PBR/मिगरानी/होशंगाबाद/भू.सं/2018/1762

आवेदक :- 1. गुलाबसिंह आ. प्रहलादसिंह गूजर

निवासी रिटालखापा तह. सोहागपुर जिला होशंगाबाद

// वनाम् //

अनावेदक :- केसरबाई पत्नि कमोदसिंह गूजर

अमावस्य 301 (होल) देशरवाहे वरिण कमोदसिंह गूजर - धारपान

भागीदार पदावधि 3
आदिवासी 29.1.19
के अदिवासी पत्र
मे अदिवासी अदिवासी
मे से दोपपन 44 मयिदि
किपा गपा (2017)
वास्तु अदिवासी
अदिवासी 29.1.19

- (अ) 2 विरथाम अरु कमोदसिंह गूजर आरु 500 वर्ग ल (गगा)
 - (ब) 2 भउमाट अरु कमोदसिंह गूजर आरु 500 वर्ग ल (गगा)
 - (ग) विरप अरु अरु कमोदसिंह गूजर आरु 480 वर्ग ल (गगा)
 - (द) 2 अरु अरु अरु कमोदसिंह गूजर आरु 440 वर्ग ल (गगा)
 - (इ) 5 रूपाय (र पतिन नरु लाल 43 री कमोदसिंह गूजर आरु 400 वर्ग ल (गगा)
- सगी भवली - 10 म 12 टापपार लरु सोलागड (गगा) होशंगाबाद (भ.स)

282

2. मालक जी आ. मारु गूजर

3. माखन आ. गुरुदयाल अहिरवार

तीनो निवासी रिटालखापा तह. सोहागपुर जिला होशंगाबाद

// पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.संहिता //

// उत्पन्न //

न्यायालय :- श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर जिला होशंगाबाद

अपील प्रकरण क्रमांक - 005/अपील/2017-18

आदेश दिनांक :- 29/01/2018

पक्षकार :- केसरबाई वगैरह वनाम् गुलाबसिंह

// मूल प्रकरण //

न्यायालय :- श्रीमान नायब तहसीलदार सोहागपुर जिला होशंगाबाद

राजस्व प्रकरण क्रमांक - 01अ-70 वर्ष 2015-16 मौजा रिटालखापा

आदेश दिनांक :- 16/06/2017

पक्षकार :- गुलाबसिंह वनाम् केसरबाई वगैरह

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार सोहागपुर जिला होशंगाबाद के

समक्ष एक प्रकरण गुलाबसिंह वनाम् केसरबाई के रूप में प्रस्तुत करते हुये धारा 250


के अंतर्गत एक आदेश दिनांक 16/06/2017 को पारित करते हुये खसरा नम्बर

36/1 रकवा 2.50 ए0 भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक के द्वारा किया गया।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपठ

प्रकरण क्रमांक PR/R/संशोधक/१५२२/२०१८/१७६२

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-03-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म०प्र०भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p> अध्यक्ष</p>	